"और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।"

समाज सुधार प्रकाशण श्रृंखला 15

इस्लाम और अत्याचार

उत्पीड़ित चाहे मुसलमान हो या गैर-मुस्लिम दोनों बराबर हैं

मौलाना अरशद मदनी

अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा-ए-हिन्द

1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

इस्लाम और अत्याचार

उत्पीड़ित चाहे मुसलमान हो या गैर-मुस्लिम दोनों बराबर हैं

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ○ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ○ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ﴾. (سوۂ ابراھیم آیت: ۴۲/۴۳/۴۴)

"और जो कुछ यह अत्याचारी लोग कर रहे हैं उससे अल्लाह को कदापि अनजान न समझ, उनको केवल उस दिन तक ढील दे रखी है जिसमें आंखें पथरा जाएंगी, सिर ऊपर उठाए दौड़ते होंगे, उनकी आंखें उनकी ओर फिर कर नहीं आएंगी और उनके दिल उड़ गए होंगे। आप उन लोगों को उस दिन से डराएं जिस दिन उन पर यातना आ पड़ेगी तब अत्याचारी लोग कहेंगे ऐ हमारे रब! हमें थोड़े समय तक छूट दे दीजिये, हम आपका सब कहना मान लेंगे और रसूलों की बातों को मानेंगे।" (सूरह इब्राहीम, आयत 42, 43, 44)

अत्याचार करना अल्लाह को पसंद नहीं है। अत्याचारी पर अल्लाह को बड़ा क्रोध आता है लेकिन अल्लाह की आदत यह नहीं है कि हर दुष्ट अत्याचारी की तुरंत पकड़ कर ले बल्कि अल्लाह तआला दुष्ट और अत्याचारी को छूट देता है। क्योंकि अल्लाह की दया उसके क्रोध पर भारी है इसलिये वह अगर गुनाह पर तुरंत पकड़ किया करता तो सारी दुनिया समाप्त हो चुकी होती, उसकी आदत यह है कि वह गुनहगार को गुनाह छोड़ने और पश्चाताप करने की मोहलत देता है इसलिये इस आयत में अल्लाह फ़रमाता है कि सज़ा मिलने में देर हो रही हो तो यह न समझो कि अल्लाह उनके इन बुरे कामों से अनजान है। याद रखो! अत्याचारियों का कोई बड़ा या छोटा काम अल्लाह से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उसकी आदत नहीं है कि गुनहगार को तुरंत पकड़ कर नष्ट कर दे। वह बड़े से बड़े अत्याचारी को मोहलत देता है ताकि वह अपने

गुनाह से रुक जाए या गुनाह में उस सीमा तक बढ़ जाए कि क़ानून के अनुसार उसको सज़ा का योग्य होने में कोई कसर न रह जाए, खूब समझ लो कि दुनिया बदले की जगह नहीं है, यहां तो अत्याचारी अत्याचार करता है और आम तौर पर ठाट से रहता है, कल मृत्यु के बाद क़यामत के दिन जब उसको अपने कर्मों का बदला मिलेगा तो बड़ी परेशानी और भय की स्थिति में ऊपर सिर उठाए टिकटिकी बांधे पागलों की तरह घबरा हुआ अल्लाह के समक्ष चला आएगा। जिधर नज़र उठ गई उधर से दीवानों की तरह हटेगी नहीं, उस दिन दुनिया में अत्याचार करने वाले लोग अत्याचार की सज़ा और ख़ुदा की यातना को देखकर अनुरोध करेंगे कि ऐ अल्लाह! हमें कुछ दिन की और छूट दे दीजिये। मतलब यह है कि हमें दुनिया में वापस भेज दीजिये, हमने पहले जीवन में आपका और आपके रसूलों का कहना न माना लेकिन अब आपसे वादा करते हैं कि कहना मानेंगे और रसूलों के आदेशों का पालन करेंगे, उन अत्याचारियों का अल्लाह से यह छूट मांगना क़यामत के दिन होगा अर्थात इस दुनिया के समाप्त हो जाने के बाद होगा और वैसे भी मृत्यु के बाद दुबारा दुनिया में भेज कर जीवित करना और पालन करने की मोहलत देना अल्लाह की आदत के विरुध है इसलिये अत्याचारियों का यह अनुरोध अस्वीकार्य होगा।

यह बात ध्यान योग्य है कि अल्लाह की दया और उसकी करुणा क़यामत के दिन हमेशा से अधिक होगी फिर भी दुनिया में अल्लाह के बंदों पर अत्याचार करने वाले, जिस पर अत्याचार कर रहा है चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान क़यामत के दिन अपने आपको दया से वंचित पाएंगे और यह समझेंगे कि आज हम अत्याचार के कारण ख़ुदा की प्रत्येक दया से वंचित हैं, हां अगर हमें दूसरा जीवन मिल जाए तो हम अच्छे कार्य कर के ही ख़ुदा की दया के हक़दार हो सकते हैं, लेकिन न उनको दुबारा दुनिया मिलेगी और न उन पर से यातना टलेगा।

ख़ुदा का नियम यह है कि ऐसे गुनाह जिसमें मनुष्य की अज्ञा का उल्लंघन अल्लाह के साथ है मनुष्य का कोई लेना-देना नहीं है (अर्थात जो अल्लाह के अधिकार क्षेत्र में आते हैं) जैसे शराब पीना, सट्टा लगाना, जुआ खेलना और अन्य इसी प्रकार की बुराईयां, यह गुनहगार कल क़यामत के दिन अल्लाह तआला की ओर से दया और क्षमा का पात्र हो सकता है, लेकिन ऐसा गुनाह जिसमें मनुष्य के अधिकारों का हनन है (अर्थात जो बंदों के अधकिार क्षेत्र में आते हैं) तो अल्लाह उसको क्षमा नहीं फ़रमाएगा जब तक उत्पीड़ित स्वयं दुनिया में क्षमा न कर दे या क़यामत के दिन अत्याचारी के अत्याचार के

बराबर उसके अच्छे कामों का पुण्य प्राप्त कर के सहमत न हो जाए।

इसलिये अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फ़रमाया कि

﴿أَتَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَزَكٰوةٍ وَصِيَامٍ وَحَجٍّ فَيَأْتِيْ وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَأَخَذَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ﴾. (مسلم)

''तुम लोग जानते हो फ़क़ीर कौन होता है? लोगों ने कहा कि फ़क़ीर तो वह है जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है, आपने फ़रमाया कि मेरी उम्मत (अनुयायी) में (वास्तव में) फ़क़ीर वह है जो कल क़यामत के दिन नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज की इबादतें लेकर हाज़िर होगा लेकिन दुनिया में किसी को गाली दी थी, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, किसी का अन्यायपूर्वक माल लिया था, किसी की गरिमा पर हमला किया था, किसी पर अत्याचार किया था और किसी निदोर्ष की हत्या की थी, अब क़यामत के दिन हर उत्पीड़ित मनुष्य उस अत्याचारी की नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात के पुण्य से अत्याचार के बराबर पुण्य लेकर जाएगा अब अगर अत्याचारी के अच्छे कामों के पुण्य से सब की पूर्ति हो गई तो ठीक है नहीं तो बाक़ी उत्पीड़ित के गुनाहों को समेट कर उस अत्याचारी पर डाल दिया जाएगा और नरक में फेंक दिया जाएगा।'' (मुस्लिम शरीफ़)

कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में फ़क़ीर तो उसको कहते हैं जो दुनिया में काम आने वाले हर माल से वंचित और खाली हाथ हो और उसकी गरीबी उसको दुनिया के ऐशो-आराम से वंचित कर रही हो लेकिन यह अत्याचारी ऐसा अनोखा फ़क़ीर होगा कि क़यामत में काम आने वाले अच्छे कामों का हर प्रकार का भण्डार उसके पास होगा लेकिन दुनिया में अत्याचार के कारण उसके काम न आ सकेगा बल्कि उत्पीड़ित लूट कर ले जाऐंगे और यह अत्याचारी सब कुछ होते हुए भी नरक का ईंधन बन जाएगा।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि नमाज़, रोज़ा, हज, दान, वंचितों की सहायता, क्षमा मांगना और अन्य इबादतें और अच्छे कार्य अल्लाह के अधिकार से संबंधित गुनाहों की क्षमा का साधन हो सकते हैं लेकिन अत्याचार मनुष्यों के अधिकार से संबंधित ऐसा गुनाह है जिसको कोई भी इबादत और

अच्छा कार्य क्षमा नहीं करा सकता बल्कि अत्याचार के बदले में सारी इबादतें कल क़ियामत के दिन लुट जाएंगी अर्थात इनका सवाब उत्पीड़ित लेकर चले जाऐंगे और अत्याचारी इबादतों का भण्डार होते हुए भी खाली हाथ रह जाएगा और नरक का ईंधन बना दिया जाएगा।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुसलमान या गैर-मुस्लिम की शर्त नहीं लगा रहे हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि अत्याचार तो अत्याचार है चाहे मुसलमान पर हो या गैर-मुस्लिम पर, अगर अत्याचारी मर गया और उत्पीड़ित से मृत्यु से पहले क्षमा याचना नहीं हुई तो नरक का ईंधन बनेगा और यातना का योग्य होगा। इसी लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि:

﴿مَـنْ كَـانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَـوْمَ قَبْـلِ أَنْ لاَ يَـكُـوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ عَمْلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِـنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ﴾. (بخارى شريف)

''अगर किसी व्यक्ति का कोई हक़ है तो दुनिया ही में उस दिन से पहले उसको माफ़ कराले। जब मनुष्य के पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं होगा अगर अत्याचारी के पास कोई अच्छा कार्य होगा तो दुनिया में उसके अत्याचार के अनुपात में उसका पुण्य उत्पीड़ित ले जाएगा, और अगर कोई अच्छा कार्य भी नहीं होगा तो उत्पीड़ित के गुनाह उस अत्याचारी के सिर पर डाल कर अत्याचारी को नरक का ईंधन बना दिया जाएगा।'' (बुख़ारी शरीफ़)

क्योंकि दुनिया में जिसके पास शक्ति होती है वही अल्लाह की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करता है और शक्ति देने वाले अल्लाह को भूल जाता है और इस अत्याचार का परिणाम क्या होगा उसको भुला देता है, इसी लिये जो लोग अपना हक़ पूरा पूरा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन दूसरों पर अत्याचार करते हैं और उनका हक़ मार लेते हैं अल्लाह पवित्र क़ुरआन में उनको याद दिलाता है ''क्या वह लोग इस सत्य को भूल गए कि उनको क़यामत के दिन पुन: जीवित किया जाएगा जब सब लोग समस्त संसार के पालनहार के सामने खड़े होंगे।

अर्थात उस दिन कण-कण का हिसाब देना होगा और उत्पीड़ित का सब अधिकार चुकता कर दिया जाएगा। पवित्र क़ुरआन की इन आयतों और हदीसों के अनुसार मोमिन को हर समय किसी को दुख पहुंचाने और दिल दुखाने से बचना चाहिये, चाहे वह मुसलमान हो या गैर-मुस्लिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बना कर

भेजा तो निर्देश दिया कि उत्पीड़ित की आह से बचना क्योंकि उत्पीड़ित और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं है, मतलब यह है कि उत्पीड़ित के अभिशाप पर अल्लाह की ओर से स्वीकारता में देर नहीं होती।

अत्याचारी से दोस्ती

क्योंकि दोस्ती, उठने बैठने और साथ रहने का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है इसलिये अत्याचारियों के साथ रहने और उनसे निकटता अपनाने से भी इस्लाम ने मना किया है। पवित्र क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया है कि:

﴿وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ﴾. (سورة هود آيت نمبر: ١١٣)

"और अत्याचारी लोगों की ओर न झुको, कभी तुम्हें नरक की आग लग जाये और तुम्हारा अल्लाह के अतिरिक्त कोई मददगार नहीं, फिर कहीं मदद न पाओगे।" (सूरह हूद, आयत 113)

आयत का अर्थ यह हुआ कि अत्याचार करना तो अल्लाह की यातना का योग्य बनाता ही है, अत्याचारियों से दोस्ती करना भी अल्लाह की दया से वंचित करने वाली और नरक की आग का योग्य बनाने वाली है, हां अगर मनुष्य अत्याचारी से दोस्ती करता है और अत्याचारी को अत्याचार से रोकता है, उसके हाथ को अत्याचार करने से पकड़ता है तो यह तो अल्लाह को प्रिय है, इसीलिये हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि:

﴿انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِماً قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ﴾. (بخاری شریف)

"तू अपने भाई की सहायता कर चाहे वह अत्याचारी हो चाहे उत्पीड़ित, किसी व्यक्ति ने कहा उत्पीड़ित की सहायता करना तो समझ में आता है मगर अत्याचारी की सहायता करने का क्या अर्थ है? तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया कि अत्याचारी को अत्याचार करने से रोकना उसकी सहायता है।" (बुख़ारी शरीफ़)

मतलब यह है कि अत्याचारी का अत्याचार उसको अल्लाह की यातना का योग्य बनाने वाला है इसलिये तेरा अत्याचारी को अत्याचार से रोकना उसको ख़ुदा की यातना से बचाने वाला है, यही तेरा उसको अत्याचार से रोकना उसकी बहुत बड़ी सहायता है।

दुनिया के सब लोग एक ही माता-पिता की औलाद और भाई बहन हैं

जिसका अर्थ है कि रंग, नस्ल, धर्म, भाषा हर चीज़ से ऊपर उठकर हर मनुष्य को अपने दूसरे भाई अर्थात मनुष्य का शुभचिंतक और अच्छा चाहने वाला होना चाहिये, इस्लाम अपने मानने वालों को अपने नबी द्वारा यही शिक्षा दे रहा है। इस्लाम में अत्याचार की एक सूरत यह भी है कि कोई मनुष्य किसी से मज़दूरी कराए और निर्धारित राशि कार्य पूर्ण होने के बाद न दे, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह फ़रमाता है ''कि तीन काम करने वाले लोगों से मैं स्वयं झगड़ा करूंगा और मैं झगड़ा करूं तो विजयी ही रहूंगा कोई मुझसे जीत नहीं सकता। उनमें एक काम यह भी है कि कोई व्यक्ति किसी से मज़दूरी कराए फिर काम तो पूरा करा लिया लेकिन मज़दूरी न दे। इसमें भी धर्म की कोई शर्त नहीं है चाहे मज़दूर यहूदी हो या ईसाई हो या कोई भी गैर-मुस्लिम हो अगर काम लेने के बाद निर्धारित मजदूरी अदा नहीं की तो उसको अत्याचार माना जाएगा और अल्लाह क़यामत के दिन उस का बदला लेगा। इसी तरह इस्लाम में एक बहुत बड़ा अत्याचार मजबूर और बेसहारा अनाथ का माल बलपूर्वक खाना भी है, अल्लाह ने पवित्र क़ुरआन में फ़रमाया है:-

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً﴾. (سورة النساء، آيت نمبر: ١٠)

''जो लोग अत्याचार करते हुए अनाथों का माल खाते हैं वह अपने पेट में आग ही खा रहे हैं और क़यामत के दिन नरक में जाऐंगे।''

(सूरत निसा, आयत 10)

मतलब यह है कि आज अनाथ और बेसहारा लोगों का माल बहुत अच्छा और मज़ेदार लग रहा है लेकिन कल क़यामत के दिन पेट में आग बन जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि यहां कोई शर्त नहीं है कि वह अनाथ मुसलमान की औलाद है या गैर-मुस्लिम की। उस अनाथ पर अत्याचार करना बलपूर्वक उसके माल को खाना, धर्म उसका कुछ भी हो, इस्लाम धर्म में अल्लाह की कड़ी यातना का योग्य बनाने वाला है।

इसी तरह इस्लाम में किसी व्यक्ति के हक़ को अदा करने में देर करना और माल होते हुए भी टालते रहना यह भी अत्याचार है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि:-

﴿مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ﴾. (بخاری شریف)

''धनवान व्यक्ति का दूसरे का हक़ अदा करने में टाल मटोल करना

अत्याचार है।'' (बुख़ारी शरीफ़)

मतलब यह है कि किसी का हक़ अदा न करना, उसको खा जाना, मालिक को उसका हक़ न देना तो अत्याचार है ही, दुनिया उसको जानती है लेकिन माल होते हुए किसी का हक़ अदा करने में टालमटोल करना, अदा करने में देर करना यह भी अत्याचार है जो क़यामत के दिन ख़ुदा की यातना का योग्य बनाएगा।

हमारे देश और समाज में किसी व्यक्ति पर झूठा इल्ज़ाम लगा कर उसको जेल भिजवा देना और यातना का शिकार बना देना एक दिनचर्या बन गई है, याद रखना चाहिये कि यह भी बहुत बड़ा अत्याचार है क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति अत्याचार का शिकार नहीं होता बल्कि उसके माता-पिता, बहन-भाई, पत्नी और बच्चे सब मुसीबतों का शिकार होते हैं और कभी-कभी पूरा परिवार गरीबी और बेचौनी की नज़र हो जाता है, यूं कहना चाहिये कि यह अत्याचार केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान पर है, इसलिये अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि:

﴿الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.(بخاری شریف)

''दुनिया में किसी पर अत्याचार क़यामत के दिन एक अंधेरा नहीं बहुत सा अंधेरा बन कर सामने आएगा।'' (बुख़ारी शरीफ़)

इसलिये हर व्यक्ति को अत्याचार से अवश्य बचना चाहिये, और इसके परिणाम को आंखों के सामने रखना चाहिये, अगर गलती से मनुष्य किसी पर अत्याचार कर दे या किसी के अधिकार का हनन करे तो ख़ूब समझ ले कि अत्याचार क्षमा-याचना या हज से माफ नहीं होगा, इसकी क्षमा तो केवल उसी स्थिति में हो सकती है जब उत्पीड़ित स्वयं क्षमा कर दे या मृत्यु से पहले उसको अदा कर दे, नहीं तो क़यामत के दिन उसका बदला अवश्य चुकता करना पड़ेगा।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''अगर दुनिया में कोई सींग वाली बकरी किसी बिना सींगा की कमज़ोर बकरी पर अत्याचार करेगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह कमज़ोर को शक्तिशाली बना कर अत्याचारी से बदला दिलवाएंगे और अपना न्याय दिखाएंगे।

ख़ूब समझना चाहिये कि अत्याचार इस्लाम में इतनी ख़राब चीज़ है कि मनुष्य ने अगर जानवर पर भी अत्याचार किया है तो अत्याचारी को क़यामत के दिन उसको भी भुगतना पड़ेगा, याद रखो कि दुनिया में अत्याचारी बनकर जीने के मुक़ाबले में उत्पीड़ित बन कर मर जाना अच्छा है।

❑❑